सं0-83/2024/ /001/1073-23-12-2024-23-12099-1090-2020

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2024**

विषय- ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे एवं वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-5473 बी0जी0/7बी0-रा0यो0भूमि अध्याप्ति/2006 पार्ट-1, दिनांक 18.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका सं0-13029/1985एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा कैबिनेट सचिव भारत सरकार द्वारा निर्धारित शेयरिंग फार्मूला के अनुसार दिल्ली के चारों तरफ बनने वाले ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की कुल लागत का 25 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किये जाने के अनुक्रम में प्रश्नगत परियोजना की भूमि अध्याप्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश सं0-2095/23-12-15-3कोर्ट/3टीसी दिनांक 08.12.2005 द्वारा रूपये 149.90 करोड़, शासनादेश सं0-जीआई 26/23-12-06-3कोर्ट/3टीसी, दिनांक 21.03.2006 द्वारा रू0 56.00 करोड़, शासनादेश सं0-841/23-12-06-3कोर्ट/3टीसी, दिनांक 01.05.2006 द्वारा रू0 120.85 करोड़, शासनादेश सं0-1963/23-12-09-3कोर्ट/3टीसी, दिनांक 23.09.2009 द्वारा रू0 173.25 करोड़ शासनादेश सं0-367/23-12-10-3कोर्ट/3टीसी, दिनांक 28.02.2010 द्वारा रू0 137.67 करोड़ शासनादेश सं0-1692/23-12-13-3कोर्ट/3टीसी, दिनांक 20.11.2013 द्वारा रू0 88.625 करोड़ शासनादेश सं0-742/23-12-14-3कोर्ट/3टीसी, दिनांक 28.05.2014 द्वारा रू0 68.4420 करोड़ तथा शासनादेश सं0-1165/23-12-14-3कोर्ट/3टीसी, दिनांक 05.08.2014 द्वारा रू0 102.653 करोड़, शासनादेश सं0-1413/23-12-19-03कोर्ट/03टीसी, दिनांक 09.08.2019 द्वारा रू0 1200.00 करोड़ कुल रू0 2097.39 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसी क्रम में सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित मानीटरिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना की भूमि अध्याप्ति के प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 55.715 करोड़ (रूपये पचपन करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की अवशेष धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 55.715 करोड़ (रूपये पचपन करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार मात्र) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर बैंक ड्राफट/बैंकर चैक द्वारा धनराशि पे एण्ड अकाउण्ट आफीसर (नेशनल हाईवे) सड़क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सेन्ट्रल पूल में जमा कराये जाने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि अन्य किसी मद में अथवा योजना में व्यवर्तन कर व्यय नहीं की जोयगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,71,50,000 (रुपये पचपन करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371320 मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024ए दिनाँक- 04-मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव

सं0- 83/2024/ /001/1073/23-12-2024-23-12099-1090-2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-12037/113/2002-DLH/Zone-II (Vol. XIII) दिनांक 17.10.2018 के संदर्भ में।
4- अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5- पे एण्ड अकाउण्ट आफीसर (नेशनल हाईवे), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार।
6- क्षेत्रीय अधिकारी(वेस्ट यू0पी0), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
7- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
8- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
9- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
14- लोक निर्माण अनु0-10/2
15- प्रभारी, डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in